

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016



क्रमांक : ला.ब.शा.रा.सं.वि./छात्रावास/2024-2025/578

दिनांक : 01.07.2024

निविदा सूचना

विषय: सत्र 2024-2025 के लिए विश्वविद्यालयीय-छात्रावास-भोजनालय संचालनार्थ

शैक्षणिक सत्र 2024-2025 के लिए विश्वविद्यालय छात्रावास के भोजनालय हेतु सम्बन्धित कार्य में दक्ष एवं शैक्षणिक आदि संस्थाओं में कम से कम दो वर्ष तक भोजनालय का संचालन करने वाले व्यक्तियों/पंजीकृत संस्थाओं से निविदा आमंत्रित की जाती हैं। यह भोजनालय जुलाई 2024 से जून 2025 तक चलेगा। भोजन व्यवस्था निम्नलिखित शर्तों के आधार पर होगी शर्तों के पूर्ण न होने तथा विसंगति होने पर समिति द्वारा कभी भी ठेका निरस्त किया जा सकता है।

1. कुल भोजन करने वाले नियमित छात्रों की संख्या लगभग 100 तक होगी।
2. प्रतिदिन प्रातः एवं सायं दाल, चावल, सब्जी, रोटी अचार एवं सलाद के साथ पूर्णाहार। (प्याज-लहसुन रहित) छात्रावास प्रबन्ध समिति द्वारा निर्धारित मैन्यू भोजन सूची के अनुसार।
3. प्रत्येक रविवार सायं स्पेशल भोजन-खीर, पूड़ी, मटर पनीर छोले, पापड़, अचार, एवं सलाद रहेगा। परिवर्तित भोजन, पालक-पनीर, आलू की सब्जी कढ़ी, रायता आदि (प्याज-लहसुन रहित)/निर्धारित मैन्यू भोजन सूची के अनुसार।
4. भोजनालय सुरक्षित राशि के रूप में भा. सरकार के नियमावली से प्राप्त नियमानुसार 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये) कार्यालय में जमा कराना होगा। भोजनालय की कोई भी सामग्री/उपकरण बर्तन आदि टूटने-फूटने व कम होने पर उसकी राशि सुरक्षित धन राशि में से काट ली जायेगी।
5. भोजनालय ठेके पर दी गयी पूर्ण अवधि में चलाना होगा। पूर्ण-अवधि में न चलाने पर सुरक्षित राशि जब्त करते हुए संस्था द्वारा यह कार्य आपकी जोखिम एवं लागत पर किसी अन्य माध्यम से पूर्ण किया जायेगा। अधिक भुगतान की स्थिति में वह राशि ठेकेदार से वसूली जायेगी।
6. भोजन का निर्धारित समय प्रातः 08:30 से प्रातः 09:45 बजे अल्पाहार (नाश्ता) जैसे:- चाय सहित परांठा, दलिया नमकीन, दलिया मीठा, काले चने फ्राई, उपमा, पोहा में से रूच्यनुसार देय होगा। दोपहर भोजन 01.00 बजे से 2.00 बजे तक एवं सायं 7.30 से रात्रि 9.30 बजे के मध्य होगा।
7. बाहरी अतिथियों का सर्वथा निषिद्ध होगा।
8. एक माह में सामान्यतया अवकाश चाहने वाले छात्र का प्रार्थना पत्र एक दिन पूर्व आने पर अधिकतम 4 दिन का अवकाश स्वीकृत किया जायेगा व इस अवधि की भोजन राशि भी बिल में से कम करनी होगी।
9. पूजावकाश/शीतावकाश/प्रतियोगिता/NCC में लगभग 15 दिन का जो छात्र अवकाश लेना चाहेगें उनका उतने दिन का भोजन शुल्क कम करना होगा। इस अवधि में 4 दिन का अवकाश अलग से मान्य नहीं होगा।

10. प्रतिदिन सब्जी, ऋतु के अनुसार बदलकर अधिष्ठाता द्वारा छात्रों की गठित भोजन समिति के सदस्य एवं संचालक की सहमति से साप्ताहिक मैन्यू के अनुसार देनी होगी।
11. उत्तम स्तर का भोजन देना होगा। आकस्मिक निरीक्षण करने पर यदि भोजन का स्तर ठीक नहीं पाया जायेगा तो अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा और सुरक्षित धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
12. सभी व्यवस्था छात्रावास अधिष्ठाता/छात्रावास उपअधिष्ठाता के आदेशानुसार करनी होगी।
13. भोजन छात्रों को भोजनालय कक्ष में टेबल पर परोसना होगा।
14. छात्रावासीय छात्रों के आगन्तुकों का भोजन, नकद कूपन द्वारा मान्य होगा। अतिथियों हेतु भोजन दर, साधारण/स्पेशल प्राशासनिक स्वीकृति एवं निर्देशानुसार निर्धारित की जायेगी।
15. छात्रों का भोजनालय होने के कारण भोजनालय में महिला कर्मचारी को रखना पूर्णरूपेण निषिद्ध रहेगा। अर्थात् ऐसा आवेदन अस्वीकार्य होगा।
16. FSSAI द्वारा निर्धारित मानदण्डों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
17. अधिष्ठाता/उपअधिष्ठाता/प्रबन्ध समिति/निरीक्षण समिति के आकस्मिक निरीक्षण में भोजन की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर तथा भोजनालय में अस्वच्छता गंदगी होने की स्थिति में प्रथम बार रुपये 500/ तथा द्वितीय बार ऐसा करने पर रुपये 1000/- का निर्धारण कर अधिष्ठाता दण्डित कर सकते हैं।
18. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों का पालन न करने पर अनुबन्ध प्रबन्ध समिति द्वारा निरस्त किया जा सकता है या आर्थिक दण्ड लगाया जा सकता है। इसका अधिकार छात्रावास अधिष्ठाता के पास होगा।
19. बाहर से पका हुआ भोजन लाना तथा बना कर बाहर ले जाना निषिद्ध होगा। ऐसा करने पर आर्थिक दण्ड या ठेकेदारी निरस्तीकरण अधिष्ठाता की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है।
20. प्रत्येक मास अधिष्ठाता छात्रों की समिति गठित करेंगे तथा मैन्यू का निर्धारण करेंगे। तदनुसार भोजन का निर्माण करना आवश्यक होगा।
21. बासी भोजन कराने पर उस समय के भोजन का मूल्य निरस्त किया जा सकता है, यह अधिकार अधिष्ठाता का होगा। किसी भी परिस्थिति में बासी भोजन परोसना पूर्णतः निषिद्ध होगा।
23. छात्रावास अधिष्ठाता द्वारा लिखित तीन बार चेतावनी देने पर भी भोजन की गुणवत्ता में यदि सुधार नहीं किया जाता है तो ठेकेदारी निरस्त कर सुरक्षित धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
24. भोजन व्यवस्थापक को प्रबन्ध समिति के बुलाने पर प्रबन्ध समिति के समक्ष तीन बार अनुपस्थित होने पर अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा एवं सुरक्षित धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
25. यह अनुबन्ध कभी भी एक मास की पूर्व सूचना पर निरस्त किया जा सकता है।
26. पाचकों एवं कर्मचारियों का आधार कार्ड/पहचान पत्र आदि संलग्न करना होगा।
27. खाना परोसने के पश्चात् प्रति-दिन भोजनालय कक्ष/ पाकशाला कक्ष की साफ सफाई करना अनिवार्य होगा।
28. छात्रावास प्रबन्ध समिति द्वारा कभी भी भोजनालय परिसर का निरीक्षण किया जा सकता है।
29. ठेकेदार को भोजन के समय भोजनालय में उपस्थित रहना होगा।
30. यदि किसी कारण से भोजनालय चलाने में असमर्थता हो तो कम से कम एक माह पूर्व लिखित सूचना देकर ही भोजनालय को बन्द किया जा सकेगा। पूर्व सूचना के बिना अचानक बन्द करना नियम के खिलाफ तथा दण्डनीय होगा। इसके दण्डस्वरूप सुरक्षित धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
31. भोजनालय ठेकेदार के बिल से नियमानुसार आयकर की कटौती की जायेगी।



32. ऐसे भोजनालय ठेकेदार आवेदन न करें जो पहले भी बीच में ही छोड़ कर चले गये हों।
33. अनुमोदित निविदादाता को कार्यादेश जारी किये जाने से पूर्व निविदा स्वीकृति के 07 दिन में रुपये 500/- के **Non-Judicial Stamp** पर अनुबन्ध निष्पादित कराना होगा।
34. **GST** हेतु सम्बन्धित विभाग में पंजीकरण होना आवश्यक है। पंजीकरण की प्रति संलग्न करना आवश्यक है।
35. किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली/NCR होगा।


विशेष :- अधोलिखित जानकारी संलग्न आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें :-

- कैंटरर्स के मालिक का स्थाई निवास प्रमाण पत्र।
- फोन नं0 एवं मोबाइल नम्बर।
- अनुभव प्रमाण पत्र—कम से कम एक सरकारी/स्वायत्तशासी/निजी शैक्षणिक आदि संस्थाओं में दो वर्ष तक 100 व्यक्तियों के भोजन कराने का अनुभव।
- पैन नम्बर
- कम से कम तीन वर्ष की आयकर रिटर्न की कॉपी प्रस्तुत करनी होगी।
- आधार कार्ड एवं बैंक खाते का विवरण।
- GST हेतु सम्बन्धित विभाग में पंजीकरण की प्रति।
- Food वैध लाइसेन्स की प्रति।

उपर्युक्त विवरण एवं मानकों के अनुसार जो भी व्यक्ति, संस्था ठेकेदारी पर भोजनालय चलाना चाहें वे अपना प्रार्थना पत्र भोजन दर सहित अधोहस्ताक्षरी के पास मुहरबन्द लिफाफे में दिनांक 15.07.2024 तक सायं 5 बजे तक मुख्यद्वार पर सुरक्षागार्ड की पंजी में इन्ट्री कराकर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।


निविदा खुले हुए लिफाफे में होने या टेप से बन्द न होने पर अस्वीकार्य होगी।


नोट:- आवेदन पत्र के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र भी पूरित कर प्रस्तुत करें। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त निविदा पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जायगा तथा अपूर्ण प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायगा।



(प्रो.सुन्दर नारायण झा)
छात्रावास अधिष्ठाता

सूचनार्थ :- प्रतिलिपि

- 1 अध्यक्ष छात्रावास प्रवेश/प्रबन्ध समिति
- 2 मुख्य सतर्कता अधिकारी
- 3 कुलानुशासक
- 4 कुलपति/वित्ताधिकारी के निजी सचिव
- 5 उपकुलसचिव (लेखा/विकास)
- 6 सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)/प्रशा.
- 8 सूचनापट्ट विश्वविद्यालय / छात्रावास
- 9 संगणक केन्द्र को, उक्त सूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट/CPP Portal पर प्रसारित करने हेतु प्रेषित।



(प्रो.सुन्दर नारायण झा)
छात्रावास अधिष्ठाता




02/07/24

आवश्यक कार्यवाही हेतु

Sl. Sachin


02/07/24